उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-25/2016/सा0-755/38-2-2016-32बी/2013,
लखनऊ: दिनांक:20 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478-70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल जिला-**महोबा** में एक नया विकास खण्ड **'श्रीनगर'** सृजित करते हैं और इस अधिसूचना के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-उल्लिखित विकास खण्ड-कबरई के ग्रामीण क्षेत्रों को विभाजित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित न्याय पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	**खण्ड का नाम**	**न्याय पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा**
1	**2**	**3**
महोबा	कबरई	मकरबई, पहरा, कबरई देहात, धरौन, सुरहा, कहरा, चिचारा
	श्रीनगर	श्रीनगर, भण्डरा, सिजहरी, पचपहरा, पिपरामाफ, पसवारा

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-25/2016/ सा0-755 (1)/38-2-2016-32बी/2013, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उप विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विधायी अनुभाग-1
9- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
12- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
13- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
14- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2016/सा0-755 (2)/38-2-2016-32बी/2013, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In the pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.- 25/2016/sa-755/38-2-2016-32B/2013, Dated: 20 December, 2016.

NOTIFICATION

No.- 25/2016/ sa-755 / 38-2-2016-32B/2013.
Lucknow: Dated:December 20, 2016

In excercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961) and in partial modification of notification no. 5445/XXXVIII-3-478-70, dated September 18, 1972 as amended from time to time, the Governor is pleased to create a new Vikas Khand Shrinagar in district Mahoba and divide the rural areas of Vikas Khand Kabarai as mentioned in coloumn 2 of the Schedule below with effect from the date of this notification and to direct that the Khands mentioned in the said column 2 shall consist of the areas comprise the Nyaya Panchayat circles mentioned against each khand in column 3 of the Schedule below :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Nyaya Panchayat circle which shall constitute the area of the Khand
1	2	3
Mahoba	Kabarai	Makarbai, Pahra, Kabarai Dehat, Dharaun, Surha, Kahra, Chichara.
	Shrinagar	Shrinagar, Bhandra, Sijahari, Pachpahra, Pipramaaf, Paswara.

By Order,

Deepak Trivedi
Principal Secretary.

.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।